RNI No. MAHBIL /2009/31730

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक २८]   गुरुवार, जुलै २३, २०१५/श्रावण १, शके १९३७   [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ४९

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २३ जुलाई २०१५ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :–

L. A. BILL No. XXXIX OF 2015.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA
CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३९, सन २०१५।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक।

सन् १९६१ महा. २४। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; **इसलिए**, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :-

१. यह अधिनियम, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाये । संक्षिप्त नाम।

सन् १९६१ महा. २४। **२.** महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, १९६० की धारा ७३ गख के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :– सन् १९६१ का महा. २४ में धारा ७३ गग की निविष्टि।

निर्वाचन स्थगित करने की राज्य सरकार की शक्ति।

“ **७३गग.** जहाँ दुर्भिक्षता, सूखा, बाढ, आग या किसी अन्य नैसर्गिक विपदा के या बारिश के मौसम या के कारण राज्य विधानसभा या परिषद या लोकसभा या स्थानीय प्राधिकरण, के किसी निर्वाचन कार्यक्रम किसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग का निर्वाचन कार्यक्रम एक साथ होना, राज्य सरकार की राय में किसी संस्था या संस्था के वर्ग का निर्वाचन करना लोकहित में नहीं है, तो राज्य सरकार, इस अधिनियम या नियमों या तद्धीन बनाये गये उप-विधियों द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग का निर्वाचन एक समय में छः महीने से अधिक न हो ऐसी अवधि के लिए स्थगित करेगी, तथापि, जो अवधि इस प्रकार अधिकतर विस्तारित की जायेगी वह कुल अवधि कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। ”।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

संविधान (सत्यानब्बेवाँ संशोधन) अधिनियम, २०११ द्वारा, संविधान संशोधन के अनुसरण में, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) सन् २०१३ के महा. १६ द्वारा संशोधित किया गया है। उक्त अधिनियम, २०१३ द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ की धारा ७३ गख, मतदाता सूची तैयार करने के लिए अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिये उपबंध करती है और संस्था के सभी निर्वाचनों का संचालन, " राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण " नामक प्राधिकरण में निहित होगा। उक्त अधिनियम की धारा ७३अअअ की उप-धारा (३), समिती के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि का उपबंध करती है और उसके पदधारकों की पदावधि निर्वाचन के दिनांक से पाँच वर्ष की होगी और पदधारकों, की पदावधि समिती के पदावधि साथ सह पर्यवसित होगी।

२. तदनुसार राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने, पहले से ही राज्य की विभिन्न सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन किया गया है और कतिपय संस्थाओं के निर्वाचनों को कराने की प्रक्रिया में है।

३. यह देखा गया है कि, कतिपय संस्थाओं की पाँच वर्ष की पदावधि निकट में समाप्त होनेवाली है जो अवधि बारिश के मौसम के साथ की है। यह भी देखा गया है कि, विभिन्न संस्थाओं में सदस्यों की बडी संख्या में कृषक हैं, जो संभवतः कृषक कार्य में व्यस्त रहते हैं। जिसका परिणाम निर्वाचनों में मतदाताओं के कम आने में होगा। यह ऐसी संस्थाओं के मुक्त, और उचित रित्या में निर्वाचन के संचालन को प्रभावित करेगी। इसलिए यह १९६१ के उक्त अधिनियम में उचित संशोधन करने का उपबंध करने की दृष्टि से इष्टकर समझा गया है कि, दुर्भिक्षता, सूखा, बाढ, या आग या किसी अन्य नैसर्गिक विपदा के कारण या बारिश के मौसम या राज्य विधानसभा या परिषद या लोकसभा या स्थानीय प्राधिकरण, किसी निर्वाचन कार्यक्रम के कारण किसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग का निर्वाचन कार्यक्रम एक साथ होना, राज्य सरकार की राय में, लोकहित में नही है तो राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग का निर्वाचन एक समय में छः महिने से अधिक न हो ऐसी अवधि के लिए स्थगित करेगी, तथापि, जो अवधि इस प्रकार अधिकतर विस्तारित की जाएगी, वह कुल अवधि कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २२ जुलाई २०१५।

चंद्रकांत (दादा) पाटील,
सहकारिता मंत्री ।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात :–

खंड २.— इस खंड के अधीन, जिसका आशय, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में नई धारा ७३गग को निविष्टि करना है, जिसमें जहाँ दुर्भिक्षता, सूखा, बाढ, आग या किसी अन्य नैसर्गिक विपदा के या बारिश के मौसम या राज्य विधानसभा या परिषद या लोकसभा या स्थानीय प्राधिकरण, के किसी निर्वाचन कार्यक्रम के कारण किसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग का निर्वाचन कार्यक्रम एक साथ करना उस की राय में लोकहित में नही है तो, ऐसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग का निर्वाचन एक समय में छः महिने से अधिक न हो ऐसी अवधि के लिए स्थगित करने की, जो अवधि इस प्रकार अधिकतर विस्तारित की जायेगी तथापि, वह कुल अवधि कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। उस के लिए सामान्य या विशेष आदेश जारी करने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए, उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है।

(यथार्थ अनुवाद)
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २३ जुलाई २०१५ ।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.